**पंकज कुमार**
*आई0ए0एस0*
प्रबन्ध निदेशक

**उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड**
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
दूरभाष – (0522) 2288377
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 01 / मु0अभि0(वा0) / सी0यू0–दो / ओ0टी0एस0 (16) दिनांकः 01-01-2024

ई–मेल /डाक

**प्रबन्ध निदेशक,**
**पूर्वान्चल / मध्यॉचल / दक्षिणॉचल / पश्चिमॉचल**
**विद्युत वितरण निगम लि0**
**वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ ।**

**प्रबन्ध निदेशक**
**केस्को,**
**कानपुर**

**विषयः– समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 (घरेलू), एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0–4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0–6 (लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी) के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" के तृतीय चरण को दिनांक 16.01.2024 तक विस्तारित करने के सम्बन्ध में।**

**महोदया / महोदय,**

कारपोरेशन के आदेश संख्या– 4065 / मु0अभि0(वा0) / सी0यू0–दो / ओ0टी0एस0 (16) दिनांक 04.11.2023 द्वारा समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 (घरेलू), एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0–4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0–6 (लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी) के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" के तृतीय चरण में पंजीकरण की अन्तिम तिथि को दिनांक 31.12.2023 से विस्तारित करते हुए दिनांक 16.01.2024 निर्धारित की जाती है। योजना की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
01.01.24
( पंकज कुमार )
प्रबन्ध निदेशक

**पत्रांकः / मु0अ0(वा0) / सी0यू0–दो / ओ0टी0एस0 (16) तद्दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) / अधिशासी अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को कानपुर।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

( पंकज कुमार )
प्रबन्ध निदेशक

# ''जल्दी आयें, ज्यादा लाभ पायें।''

# ''एकमुश्त समाधान योजना'' (ओ0टी0एस0)

समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 (घरेलू), एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0–4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु ''एकमुश्त समाधान योजना'' दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक तीन खण्डों/अवधि में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

## एकमुश्त समाधान योजना के मुख्य बिन्दु :–

**I.** योजना की अवधि :–

यह योजना दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक तीन खण्डों/अवधि में लागू रहेगी जिसका विवरण निम्नवत् है :–

| प्रथम अवधि | द्वितीय अवधि | तृतीय अवधि |
|---|---|---|
| 08 नवम्बर .2023 से दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक | 01 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 तक | 16 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक |

**II**. योजना की प्रक्रिया :–

1. निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31 मार्च, 2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31 अक्टूबर, .2023 तक के बकाये पर की जायेगी।

2. योजना का लाभ लेने के लिये निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त ही वह छूट हेतु अर्ह होंगे।

3. उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाइलन प्रदर्शित होगीं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर मे जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है।

4. पंजीकरण के आवेदन की पावती प्राप्त कर इसके अनुसार पंजीकरण राशि का भुगतान उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, कैश काउनटर, सभी जनसेवा केन्द्र अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं।

5. 30 नवम्बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर तक पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जाए।

6. बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा।

7. जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

8. किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किश्त प्रतिमाह अपने विद्युत बिल के साथ जमा करनी होगी। किश्तों को नियत तिथि तक जमा न करने (डिफाल्ट) की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।
   a) 12 किश्तों के प्रकरण में : अधिकतम 3 डिफाल्ट अनुमन्य होगा, लगातार दो डिफाल्ट अनुमन्य नहीं होगा।
   b) 6 किश्तों के प्रकरण में : केवल एक डिफाल्ट अनुमन्य होगा।
   c) 6 किश्तों से कम के प्रकरण में, कोई डिफाल्ट अनुमन्य नही होगा।

   डिफाल्ट का अभिप्राय किश्त को नियत तिथि तक जमा न करने से है। यदि जिस किश्त का भुगतान ससमय नही किया जाता है तो अगली तय किश्त के साथ ही छूटी हुयी किश्त जमा करना अनिवार्य होगा एवं तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।

9. उपरोक्त (बिन्दु सं0–8) के उपरान्त भी यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जायेगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट का श्रेणीवार–अवधिवार विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

| ''एकमुश्त समाधान योजना'' छूट का श्रेणीवार–अवधिवार विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उपभोक्ता श्रेणी | विकल्प | विलम्ब भुगतान अधिभार की छूट | | |
| | | दि0 8 नवम्बर, 23 से 30 नवम्बर, 23 तक पंजीकरण कराने पर | दि0 1 दिसम्बर, 23 से 15 दिसम्बर, 23 तक पंजीकरण कराने पर | दि0 16 दिसम्बर , 23 से 31 दिसम्बर, 23 तक पंजीकरण कराने पर |
| घरेलू उपभोक्ता (एल0एम0वी0–1) (1 किलोवाट भार तक) | एकमुश्त भुगतान | पूर्ण भुगतान पर 100% | पूर्ण भुगतान पर 100% | पूर्ण भुगतान पर 80% |
| | किश्त विकल्प | 12 किश्तों के साथ 90% | 12 किश्तों के साथ 90% | 12 किश्तों के साथ 70% |
| घरेलू उपभोक्ता (एल0एम0वी0–1) (1 किलोवाट से अधिक) | एकमुश्त भुगतान | पूर्ण भुगतान पर 90% | पूर्ण भुगतान पर 80% | पूर्ण भुगतान पर 70% |
| | किश्तें (विकल्प 1) | 3 किश्तों के साथ 80% | 3 किश्तों के साथ 70% | 3 किश्तों के साथ 60% |
| | किश्तें (विकल्प 2) | 6 किश्तों के साथ 70% | 6 किश्तों के साथ 60% | 6 किश्तों के साथ 50% |
| वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0–2) (3 किलोवाट भार तक) | एकमुश्त भुगतान | पूर्ण भुगतान पर 80% | पूर्ण भुगतान पर 70% | पूर्ण भुगतान पर 60% |
| | किश्त विकल्प | 3 किश्तों के साथ 70% | 3 किश्तों के साथ 60% | 3 किश्तों के साथ 50% |
| वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0–2) (3 किलोवाट से अधिक) | एकमुश्त भुगतान | पूर्ण भुगतान पर 60% | पूर्ण भुगतान पर 50% | पूर्ण भुगतान पर 40% |
| | किश्त विकल्प | 3 किश्तों के साथ 50% | 3 किश्तों के साथ 40% | 3 किश्तों के साथ 30% |
| निजी संस्थान (एल0एम0वी0–4 बी) | एकमुश्त भुगतान | पूर्ण भुगतान पर 50% | पूर्ण भुगतान पर 40% | पूर्ण भुगतान पर 30% |
| | किश्त विकल्प | 3 किश्तों के साथ 40% | 3 किश्तों के साथ 30% | 3 किश्तों के साथ 20% |
| निजी नलकूप (एल0एम0वी0–5) | एकमुश्त भुगतान | पूर्ण भुगतान पर 100% | पूर्ण भुगतान पर 100% | पूर्ण भुगतान पर 80% |
| | किश्त विकल्प | 12 किश्तों के साथ | 12 किश्तों के साथ | 12 किश्तों के साथ |
| लघु एवं मध्यम उद्योग (एल0एम0वी0–6) | एकमुश्त भुगतान | पूर्ण भुगतान पर 50% | पूर्ण भुगतान पर 40% | पूर्ण भुगतान पर 30% |
| | किश्त विकल्प | 3 किश्तों के साथ 40% | 3 किश्तों के साथ 30% | 3 किश्तों के साथ |

**III.** विद्युत चोरी के प्रकरणों में जुर्मानें में छूट हेतु :–

योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से अपने ''राजस्व निर्धारण'' की राशि पर छूट का अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10 प्रतिशत जमा करना होगा तथा शेष राजस्व निर्धारण को जमा करने के लिये निम्न तालिका के अनुसार विकल्प उपलब्ध होंगे :–

| विकल्प | दि0 8.11.23–30.11.23 तक पंजीकरण कराने पर | दि0 1.12.23–15.12.23 तक पंजीकरण कराने पर | दि0 16.12.23–31.12.23 तक पंजीकरण कराने पर |
|---|---|---|---|
| एकमुश्त भुगतान करने पर | राजस्व निर्धारण राशि का 25% | राजस्व निर्धारण राशि का 30% | राजस्व निर्धारण राशि का 40% |
| किश्त का विकल्प लेने पर | तीन किश्तों के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 30% | तीन किश्तों के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 35% | तीन किश्तों के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 45% |

1. पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय मे जाकर कराया जा सकता है। चेकिंग संख्या/उपभोक्ता अकाउन्ट आई0डी0 अंकित करने पर छूट सम्बन्धी सभी सूचना ऑनलाईन प्रदर्शित होगी।

2. पंजीकरण के समय ही व्यक्ति अपने शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर सकेगा।

3. 30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण राशि (10 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।

4. पंजीकरण राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि तथा शमन शुल्क का भुगतान विभागीय वेबसाईट uppcl.org से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर किया जा सकता है। जिसको खण्ड/उपखण्ड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जायेगा।

5. योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के लिये विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। अगर संयोजन नहीं है तो पंजीकरण से पूर्व झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा उक्त का साक्ष्य पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा। संयोजन लेने के पश्चात् 12 महीने तक लगातार नियमित रूप से बिल जमा करने के उपरान्त ही चोरी के प्रकरण में दर्ज मुकदमा वापस लिया जायेगा। यदि विद्युत संयोजन पूर्व से है तब भी नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

6. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

7. किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्काम कार्यालय में पहले निपटाए गये मामलों को योजना में शामिल करने के लिए दुबारा नहीं खोला जाएगा।

8. इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अंतिम बार दिया जा रहा है। समस्त को इस योजना से लाभान्वित होने का यह प्रथम एवं अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि के उपरान्त चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

9. उ0प्र0 शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नही रहेगी तथा उक्त का भुगतान नियमतः करना होगा (एकमुश्त भुगतान अथवा प्रथम किश्त के साथ)।

**IV.** ''एकमुश्त समाधान योजना'' के अन्य दिशा निर्देश :–

1. उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता कार्नर **>** सेवा अनुरोध **>** बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
2. इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं के पी0डी0 फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी0डी0 ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।
3. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।
4. योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों के भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके।
5. उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।